संख्या-R F-104/9-9-16- 111ज/13 T-C

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, रोजा/खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, महाराजगंज जनपद महराजगंज/आजमगढ़ जनपद आजमगढ।

नगर विकास अनुभाग--9 लखनऊ दिनांक 03 मार्च फरवरी, 2017

विषय– वित्तीय वर्ष 2014–15 व 2015–16 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 व वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश की विभिन्न नागर निकायों को उनकी मांग पर विकास कार्य हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसके सम्बंध मे कतिपय निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	आजमगढ	न.पा.परि. आजमगढ	सं0–आरएफ 918/नौ–9–2015–98आरएफ/15 दि. 28.08.15,	130.62
			सं0–आरएफ 126/नौ–9–2015–116आरएफ/14 दि. 18.02.15,	580.20
			सं0–आरएफ 590/नौ–9–2015–64आरएफ/15 दि. 08.06.15,	511.56
			सं0–आरएफ 107/नौ–9–2014–22आरएफ/15 दि. 24.02.15,	283.76
2	महराजगंज	न.पा.परि. महराजगंज	सं0–आरएफ 445/नौ–9–2015–78आरएफ/14 दि. 18.05.15,	109.21
3	शाहजहॉपुर	नगर पंचायत, रोजा	सं0–आरएफ 1150/नौ–9–2016–111आरएफ/15 दि. 30.09.16,	72.00
		नगर पंचायत, खुटार	सं0–आरएफ 1150/नौ–9–2016–111आरएफ/15 दि. 30.09.16	72.00

2. उपरोक्तानुसार कालम 03 में उल्लिखित नागर निकायों को नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30.06.17 तक इस शर्त के साथ अंतिम रूप से बढायी जाती है कि उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना

go-v

सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे उपयोगिता अवधि नही बढायी जायेगी। निकाय द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय ताकि उपयोगिता अवधि बढांये जाने की आवश्यकता न पड़े। अतः निकाय द्वारा यथा शीध्र स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के भीतर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.17 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– सम्बंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर, महराजगंज, आजमगढ।
4– सम्बंधित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।
5– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
8– गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
उप सचिव।

go-v